(c) if so, the steps proposed to be taken by the Central Government to settle the dispute amicably?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) The inter-State boundary in the area in dispute had been demarcated in 1943 and this boundary had been agreed to by the State Governments concerned and accepted by the Government of India. According to this boundary the disputed area falls in Andhra Pradesh. The talks were held with a view to settling the dispute in the light of the factual position but the Chief Minister of Orissa stated that his Government could not agree to the 1943 demarcation as final and that the State Government would consider referring the matter to the Supreme Court.

(c) In view of what has been stated in part (b), the question does not arise.

प्राचीन मूर्तियों तथा चित्रों की चोरी छिपे विदेश ले जाना

875. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन मूर्तियों तथा चित्रों को चोरी छिपे विदेश ले जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कारोबार में कुछ गिरोह संगठित रूप से काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). किसी बड़े गिरोह की साजिश के बारे में कोई सरकारी सबूत उपलब्ध नहीं है। किन्तु मद्रास सरकार की एक रिपोर्ट में मूर्ति चोरों के एक गिरोह का उल्लेख था जिनसे चुराई गई 34 मूर्तियां प्राप्त हुई थीं। तथापि, समय-समय पर समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें छप रही हैं कि बहुमूल्य वस्तुओं की, जिन में मन्दिरों में से मूर्तियां तथा प्राचीन कला की वस्तुएं व्यक्तियों और गिरोहों द्वारा संगठित तरीके से चुराई जाती हैं। सभी राज्य सरकारों को अधिक सतर्क रहने और अपनी पुलिस-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सावधान कर दिया गया है। धन की उपलब्धता की सीमाओं के अन्तर्गत जहां तक संभव हो सका है, केन्द्र सुरक्षित स्मारकों पर सुरक्षा तथा निगरानी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। बन्दरगाहों के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों और विदेश डाक घरों के सीमाशुल्क मूल्य निरुपकों को भी अधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में भी संशोधन किया जाएगा और पुरावशेषों की तस्करी करने वालों के लिए और अधिक कड़ी सजा की व्यवस्था की जाएगी।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

876. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद् में किये गये निर्णयों की कार्यान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कोई राज्य सरकार इस परिषद् द्वारा किये गये निर्णयों से सहमत नहीं हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन निर्णयों की कार्यान्विति में इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफ़ारिशों पर की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सदन के सभा-पटल

पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल. टी.-2123/68]**

(ख) परिषद् के निर्णयों पर असहमति किसी राज्य सरकार ने व्यक्त नहीं की है।

(ग) परिषद् के निर्णयों की कार्यान्विति एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति द्वारा उसका पुनरावलोकन करना होता है। गत पुनरावलोकन, जंब समिति की बैठक 26 अक्तूबर 1968 को हुई थी, किया गया था।

वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग

877. **श्री टी० पी० शाह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों, अनुसधान अधिकारियों तथा अनुसंधान सहायकों के पद पर काम करने वाले अधिकारी अपने अपने विषयों में अपेक्षित अर्हताएं प्राप्त हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग में नियमित आधार पर नियुक्त सभी अनुसंधान अधिकारियों तथा कुछ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और अनुसंधान सहायकों के पदों पर काम करने वाले व्यक्ति अपने-अपने विषयों में अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं। कुछ वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों तथा अनुसंधान सहायकों की नियुक्तियां जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं नहीं हैं, नियमित आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों के चुनाव होने तक सामान्य नियमों के अनुसार और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तदर्थ आधार पर की गई हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्था

878. **श्री टी० पी० शाह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के विज्ञान विभाग में अब तक कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) विभिन्न योजनाओं के बारे में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1968-69 में कौन-कौन सी योजनाएं शुरू करने का विचार है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

विवरण

विज्ञान शिक्षा विभाग का उद्देश्य स्कूल स्तरीय विज्ञान शिक्षा में सुधार करना है। इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा जो विभिन्न [योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं वे निम्नांकित हैं :—

शैक्षिक सामग्री का उत्पादन

(I) (क) सामान्य विज्ञान—दो पाठ्य विवरण, प्राथमिक/मिडिल/माध्यमिक स्कूलों के लिए 4 शिक्षक पुस्तिकाएं और 1 पाठ्य पुस्तक तैयार की गई है।

(ख) छठी कक्षा से आगे विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में लागू करने के लिए 26 पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें/अध्यापक गाइड/पाठ्य चर्या गाइड तैयार की गई हैं।

(ग) विभिन्न विज्ञान विषयों की बुनियादी संकल्पनाओं का पता लगाने के लिए स्थापित अध्ययन दलों द्वारा मिडिल स्कूलों के लिए 9 पाठ्यपुस्तक प्रयोगशाला संहिताओं, अध्यापक गाइडों के परीक्षण-संस्करण तैयार किए गए हैं।

(घ) विज्ञान में अनुपूरक पाठ्य सामग्री के लिए प्रस्तावित 80 पुस्तकों में से 7 पुस्तकें तैयार की गई हैं।